

24/11-03/2016/14 -

14/11/16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

134
14-01-16

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./193

विषय:-याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 10097/2015 (एस) द्वारा श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 10097/2015(एस) द्वारा श्री भूपाल सिंह, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है ।

अतः याचिका क्रमांक डब्ल्यू0पी0 10097/2015 (एस) में प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना को नियुक्त किये जाने हेतु याचिका की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की 10 प्रतियां संलग्न प्रेषित है ।

कृपया प्रकरण में शासन पक्ष एवं समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।

अपर संचालक(स्था0)

अवर सचिव,
म0प्र0 शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

14.1.16

14/1/16

जा-अ-16
14-1-16

2

20/11-03 / 2016/147

फॉलो
मीटिंग
6/2/16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

एकल न०क० अ-1-ब/स्था/को.के./193

विषय:-याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 10097/2015 (एस) द्वारा श्री भूपाल सिंह,
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (से.नि.) विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण
में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत ।

पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया उपर संचालक (स्थापना) संचालनालय, किसान
कल्याण तथा कृषि विकास से उक्त विषयान्तर्गत पूर्व पृष्ठ-1
में प्राप्त पत्र-ताब का अवलोकन करें। जिसमें प्रभारी अधिकारी,
उप-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना
को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
तदनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

31

3/2/16

3/2/16

अनु. अवे.

W (रॉरर)

DS.

'अ' अनुमोदनार्थ ।

3/2/16.

प्रमुख सचिव

क) क्या प्रस्ताविक

3/2/16

DS(G)

50

3/2/16

3/2/16

No. 252-AM/PSIFWAD
Date 4/2/16

210 अ
3/2/16
5/2/16

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - श्री. चक्रावती उल्हास पी. 10097/2015 (रख.)
डायरी भूपाल सिंह, विरहू म. प्र. शासन एवं अन्ध

मंत्री. डी. वि.
का विभाग

शर्क लफ से.

कृपया रखरख प्रतिमां हलनाइराध प्रस्तुत।

अनु. अधि.

DS(3)

US(रखी.)

50(रखी.)

328-29

15/2/16

प्रभारी अधिकारी के निम्नलिखित के आदेश जारी
कर दिये गये हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने के
संबंध में फाइल विधि विभाग को कृपया अंकित
करना चाहेंगे।

अनु. अधि.

कृपया नरणी विधि विभाग को
अंकित करना चाहेंगे।

उप सचिव.

विभाग

शरु

प्रतिरक्षण
अंकित

हेतु
करना

विधायक
चाहेंगे।

प्रमुख सचिव

19/2/16
Schukla
27/4/16.

P-33/C

10/2/16

39
15/2/16

मी. धनराज
15/2/16

19/2/16

362/16
27/2/16

५

सं. 11-03/2016/14-1

उन्नीस-२ सचिवालय


विषय:- प्रो. चका कुमांड उक्कमु. पी. 10097/15 (एम.) द्वारा
सी. भूपाल सिंह बिरुदु मा. प्र. शासन एवं अन्य।

मंत्री: कृषि
का विभाग

प्रतिपक्ष से:-

प्रतिपक्ष का उद्देश्य नस्ती करिना

प्रमुख सचिव (विधि)



(डॉ. राजेंद्र प्रसाद)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

No. 252-A/17/PS/FWAD
Date 24/4/16

7/63

का मोहरा
24/4/16

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-11/03/2016/14-1

भोपाल, दिनांक :- 15/4/16

//आदेश//

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना (पक्षकारों के नाम श्री भूपाल सिंह) विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी0 10097/2015 (एस) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी शीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।

//2//

- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना ————— प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
- (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (8) मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (9) जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।
- (10) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।
- (11) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (12) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।
- (13) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा, तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये ।
- (14) प्रभारी अधिकारी, नाम दिनोंक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।

-3-निरंतर

7/11/21
AIB

8/11/21


//3//

- (15) प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें ।

D IR
-2015

.2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(उप सचिव)


मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

B.

पृ0क्रमांक/एफ-11/03/2016/14-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक :- 15/2/16

- 1 महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर म.प्र।
- 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।
- 3 संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र भोपाल.।
- 4 संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला सतना मध्यप्रदेश।
- 5 संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश ।
- 6 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे ।
- 7 शासकीय अधिवक्ता कार्यालय महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8 आदेश नस्ती ।


उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

का.प्र.

B.

26 of
ition

ocate
2.

fully

RAR

521228605
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 168905/2015

WP/10097/2015

FOR ADM AND IR
Fixed for 03-12-2015
WP-DA-8
Respondent No. 2

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

To,

Director Agriculture Kisan Kalyan Evam Krishi
Vikas Vibhag,
Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 26-10-2015

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No.
WP/ 10097/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Bhupal Singh** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/10097/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **03-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

29-10-15

DEPUTY REGISTRAR



7/12/15
AIB
504
8/12/15